



भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
नियंत्रक संचार लेखा,  
उ० प्र० (पश्चिम) परिमण्डल  
ब्रह्मपुरी दूरसंचार भवन, दिल्ली रोड, मेरठ-250002

## पेंशन अदालत

दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड, उ० प्र० (प) मेरठ के समस्त सम्मानित पेंशन धारकों/अवकाश प्राप्त कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन धारकों इत्यादि को सूचित किया जाता है कि वे अपने पेंशन संबंधित समस्त प्रकार के विवादित/विलंबित मामले जो कि ग्रेज्युटी पेंशन कम्प्यूटेशन, रेस्टोरेशन, सामान्य भविष्य निधि, और पेंशन रिवीजन इत्यादि से संबंधित है के बारे में पूर्ण विवरण के साथ श्री बदन सिंह (उप नियंत्रक) को संबोधित कर डाक के माध्यम से 08.11.2017 तक प्रेषित करें। अपने आवेदन पत्र में पेंशन अदालत अवश्य लिखें। इस अदालत में दिनांक 31.07.2017 तक के विवादित पेंशन संबंधित मामलों पर ही विचार या निर्णय किया जायेगा।

अदालत का आयोजन दिनांक 23.11.2017 को समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक कार्यालय महाप्रबंधक, भा०सं०नि०लि० अलीगढ़ में किया जायेगा। आमंत्रित पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी अपने-अपने मामलों के सामाधान हेतु अपने स्वयं के व्यय पर भाग ले सकेंगे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

टोल फ्री नम्बर 1800-180-3099

दूरभाष 0121-2403637

फैक्स 0121-2404600

वेबसाइट [www.ccaupwest.gov.in](http://www.ccaupwest.gov.in)

प्रति हस्ताक्षरित

उपनियंत्रक संचार लेखा

उ० प्र० (प)

दूरसंचार परिमंडल मेरठ

## प्रारूप

1. पेंशन प्राप्त कर्ता का नाम -
2. पेंशन भुगतान आदेश संख्या -
3. पेंशन भुगतान कर्ता कार्यालय -
4. पेंशनर का पूरा पता पिन कोड सहित -
5. आधार कार्ड संख्या तथा मोबाइल नं० -
6. शिकायतों एवं पूर्व पत्राचार का विवरण (संदर्भ सहित) -

(हस्ताक्षर)  
पेंशनर का नाम